



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 23, 2013/ज्येष्ठ 2, 1935

No. 252]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 23, 2013/JYAISTHA 2, 1935

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2013

सा.का.नि. 332(अ).—जबकि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि डेक्सटायरोप्रोपाक्सीफीन औषध और ऐसे फार्मूलेशन जिसमें डेक्सट्रोप्रोपाक्सीफीन शामिल हो, के प्रयोग से मानव जीवन को जोखिम की संभावना है और जबकि उक्त औषध के सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं;

और जबकि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि जनहित में देश में औषधों का विनिर्माण, बिक्री तथा वितरण के निलंबन द्वारा नियंत्रित करने तथा ऐसी शीघ्र कार्रवाई करने की जरूरत है;

अतः अब, औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित औषधों की बिक्री के लिए विनिर्माण, बिक्री और वितरण को निलंबित करती है।

‘डेक्सटायरोप्रोपाक्सीफीन’ और मानव उपयोग के लिए ऐसे फार्मूलेशन जिसमें डेक्सट्रोप्रोपाक्सीफीन शामिल हो।

[फा. सं. एक्स. 11014/1/2013-डीएफक्यूसी]

अरुण कुमार पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2013

G.S.R. 332(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the use of the drug Dextropropoxyphene and formulations containing Dextropropoxyphene for human use is likely to involve risk to human beings and whereas safer alternatives to the said drugs are available;

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient to regulate by way of suspension of manufacture, sale and distribution of the drugs in the country in public interest;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 26A of the Drugs and Cosmetic Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby suspend the manufacture for sale, sale and distribution of the following drugs with immediate effect.

‘Dextropropoxyphene and formulations containing Dextropropoxyphene for human use’.

[F.No. X. 11014/1/2013-DFQC]

ARUN K. PANDA, Jt. Secy.